

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रवेश-पत्र

अभिवृत्ति व कौशल परीक्षा सह-साक्षात्कार  
भूत्य, फर्मश एवं दफ्तरी कम फर्मश पद हेतु

अपना नवीनतम्,  
पासपोर्ट साइज  
रंगीन फोटो, चर्स्पा  
करके लावें व  
स्वहस्ताक्षरित करें

|   |  |
|---|--|
| 1. आवेदन पंजीयन क्रमांक –   | 2. अभ्यर्थी का रोल नंबर –  |
| 3. परीक्षा तिथि .....-06-2024 दिन .....                                   | 4. दस्तावेज सत्यापन कार्य प्रातः 7.00 बजे से<br>कौशल परीक्षा का समय प्रातः 8.00 बजे से |
| 5. परीक्षा केन्द्र का नाम – <u>ए.डी.आर. भवन जिला न्यायालय परिसर कोरबा</u> |  |
| 6. आवेदित पद का नाम – भूत्य, फर्मश एवं दफ्तरी कम फर्मश पद हेतु            |  |
| 7. अभ्यर्थी का पूरा नाम –   |  |
| 8. पिता / पति का नाम –  |  |
| 9. अभ्यर्थी का डाक का पता पिनकोड सहित –                                   |  |

  
 अध्यक्ष  
 भर्ती समिति  
 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
 कोरबा (छ.ग.)

अभ्यर्थी के लिए अनुदेश

1. अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 01 घंटा पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है।
2. अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है तथा कौशल परीक्षा की समाप्ति के उपरांत इस प्रवेश पत्र को पर्यवेक्षक को आवश्यक रूप से सौंपना होगा।
3. अभ्यर्थी को अपने साथ अपना पहचानपत्र (आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस अथवा वोटर आई.डी. कार्ड) लेकर आना अनिवार्य है।
4. कौशल परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट पश्चात् अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. कौशल परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक / चयन समिति के द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। पर्यवेक्षक / चयन समिति या कर्मचारियों से अनुचित या आपत्तिजनक व्यवहार चयन के लिए अनर्हता माना जायेगा।
6. कौशल परीक्षा में किसी प्रकार का वर्जित कागजात, पुस्तक, कैल्क्युलेटर, मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रखना वर्जित है। लायी जाने वाली सामग्री की संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी स्वयं की होगी।
7. अभ्यर्थी को अहता संबंधी मूल दस्तावेज (कक्षा 5वीं, 8वीं, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन एवं अनुभव प्रमाण पत्र) लेकर उपस्थित होना अनिवार्य है। यदि कोई अभ्यर्थी अहता संबंधी मूल दस्तावेज लेकर उपस्थित नहीं होता है अथवा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अपात्र पाया जाता है, तो उसे अभिवृत्ति व कौशल परीक्षा सह-साक्षात्कार में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।